राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	164/2006 कालीदास चेला शीतलदास बनाम रविकान्त	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/12/2025 को पेश हो |	
29/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21/12/1998 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 2/रेस्पो. संख्या 3 को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाते हुये वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2118 लगा. 2128, 2133, 2142, 2409 लगा. 2417, 2419 लगा. 2437, 2301 कुल किता 50 रकबा 19.99 हैक्टेयर वाके ग्राम नायन, तहसील शाहपुरा में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा ना करने एवं वादी को उक्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19/06/2001 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की गयी | तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रश्नगत भूमि मन्दिर श्री नानगाजी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, ऐसेमें प्रश्नगत भूमि को खुर्द-बुर्द होने से रोका जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21/12/1998 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	